(b) whether Government are aware that it causes a lot of difficulties to the old and infirm pensioners who are settled outside these States;

(c) if so, whether Government propose to advise the State Governments to allow such pensioners to draw their pensions from the nationalised banks where they arc settled after retirement as is the case with the Central Government pensioners; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (d) Under the provisions of the Constitution of India, the state pensions are the concern of the respective State Governments. Therefore, the information as asked for is not available with the Central Government.

संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में विशेषज्ञ समिति

1039. **श्री ईश दत्त यादवः**

श्री नागमणिः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं में उत्तर देने की विकल्प दिये जाने के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ख) यदी हां, तो इसका गठन कब हुआ और इस समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) सिविल सेवा परीक्षा योजना की पुनरीक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में पहले गठित विशेषज्ञ समिति को, दिनांक 22 मई, 1989 को अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं को परिक्षाओं के माध्यम के रूप में लागू करने के मुद्दे की जांच करने के लिए, भी कहा गया था। विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थेः-

डा. सतीश चन्द्र	अध्यक्ष
श्री टी. आर. सतीश चन्द्रन	सदस्य
श्री एस. एन. माथुर	सदस्य
डा. के. वेंकटरमैया	सदस्य
डा. फ्रांसिस ए. मेनेजिस	सदस्य
श्री सी. एस. स्वामीनाथन	सदस्य
श्री डी. पी. बागची	सदस्य
श्री डी. बासु	सदस्य सचिव

समिति ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परिक्षाओं में विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम के रूप में लागू करने संबंधी सिफारिशें कीं।

Empanclmcnt of Women IAS and IPS Officers

1040. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of women IAS and IPS officers in the 1965 and 1966 batches;

(b) whether it is a fact that adequate cmpanelmcnt of women officers has not been done in these services; and

(c) the details of the steps proposed to be taken to improve their promotional and empanelmcnt prospects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) There arc 7 women IAS officers of the 1965 batch and 1; women IAS officers of the 1966 batch. There is no lady IPS officer of the 1965 batch and the 1966 batch of the Indian Police Service.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise in the view of answer to (b) above.